UPHR010034922024

न्यायालय: विशेष न्यायाधीश SC/ST (P.A.) Act, हरदोई।

परिवाद संख्या– 227/2024

रमेश प्रति अनन्तू, आदि

थाना– बेनीगंज, जिला– हरदोई

दिनांकः 08–09–2026

पत्रावली आहूत के बिन्दु पर आदेशार्थ नियत है

परिवादी द्वारा इस आशय का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)BNSS प्रस्तुत किया गया कि प्रार्थी अनुसूचित चमार जाति का व्यक्ति है, जबकि विपक्षीगण पिछड़ी मौर्य जाति के हैं। दिनांक 16.06.2024 को सायं लगभग 5 बजे, प्रार्थी की 14 वर्षीय पुत्री कु० संध्या देवी शौच कर खेत से वापस घर आ रही थी कि वहां पर पहले से विपक्षी सं० 3 लालता घात लगाये बैठा था, जिसने उसे वापस आता देख, बुरी नियत से उसे पकड़ लिया तथा वह उसे झाड़ियों की तरफ खींचकर ले जाने लगा, वह उसके स्तन दबाने लगा, शोर पर वह उसे छोड़कर, मां–बहन की गन्दी–गन्दी गालियां देते हुए, जाति सूचक शब्दो में कहा कि **साली चमरिया आज बच गयी, अबकी बार तेरे साथ बलात्कार जरूर करेंगे।** उसने घर आकर सारी घटना अपनी मां को बतायी, जिसने प्रार्थी को घटना की जानकारी दी, तब प्रार्थी ने उसी दिन विपक्षीगण के घर जाकर उलाहना दिया, इस बात पर विपक्षीगण अनन्तू, प्रेम, लालता व श्रीमती प्रेमा नाराज हुये और प्रार्थी को पकड़कर लात–घूसों से मारने–पीटने लगे। शोर सुनकर प्रार्थी की पुत्री संध्या, पत्नी रानी, अक्षय मियां पुत्र मुजम्मिल दौड़कर आ गये, जिन्होने विपक्षीगण को ललकारा, तब विपक्षीगण प्रार्थी को जाति सूचक शब्दों में गालियां व धमकी देकर कहने लगे कि **साले चमारो के दिमाग ज्यादा खराब हो गये है, ठीक करने पड़ेगे।** प्रार्थी थाना बेनीगंज गया, जहां विपक्षीगण के राजनैतिक प्रभाव के कारण रिपोर्ट नहीं लिखी गयी, विपक्षीगण लगातार कहते घूम रहे है कि रिपोर्ट या कार्यवाही की तो तुम्हे व तुम्हारे परिवार को नेस्तनामूद कर देंगे। विपक्षीगण काफी दबंग व झगड़ालू प्रवृत्ति के लोग हैं। कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी ने पुलिस अधीक्षक को जरिए रजिस्टर्ड डाक, प्रार्थना पत्र प्रेषित किया परन्तु फिर भी कोई कार्यवाही न होने पर प्रार्थी न्यायालय की शरण में आया है। अतः अभियोग पंजीकृत करने हेतु समुचित आदेश पारित करने की प्रार्थना की गयी है।

न्यायालय द्वारा आदेश, दिनांकित 12.08.2024 के माध्यम से उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 173(4)BNSS को परिवाद के रूप में पंजीकृत किया गया।

परिवादी का अभिकथन अन्तर्गत धारा 223 BNSS तथा साक्षीगण अक्षम मियां उर्फ शमशाद, संध्या व रानी का अभिकथन अन्तर्गत धारा 225 BNSS लेखबद्ध किया गया।

विपक्षीगण की ओर से अपनी आपत्ति के माध्यम से, परिवाद कथानक का खण्डन करते हुए कथन किया गया है कि परिवादी रमेश अपनी हरिजन जाति का फायदा उठाने के लिये आये दिन किसी न किसी पर फर्जी मुकदमा डालता रहता है क्योकि परिवादी जानता है सरकार द्वारा पैसा मिलेगा। परिवादी का पेशा हो गया है, SC/ST में किसी न किसी पर मुकदमा

Gyanendra Tripathi
Spl. Judge SC/ST (P.A.) Act

Digitally signed by GYANENDRA TRIPATHI
Date: 2026.09.11 10:41:00 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

लिखवाना। परिवादी ने मु०अ०सं० 30/9, अं०धारा 307, 504 IPC व 3(2)(V) SC/ST (P.A.) Act आपत्तिकर्ता अनन्तू उर्फ अनन्तराम के खिलाफ पूर्व में लिखवाया था, जिसमें आपत्तिकर्ता दोषमुक्त हुआ। परिवादी ने अं०सं० 200/26, अं०धारा 115(2), 351(3), 352 BNS & 3(1)(द), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act में आपत्तिकर्ता अनन्तू, उसकी पत्नी व पुत्री के विरूद्ध फर्जी मुकदमा थाना बेनीगंज में लिखाया गया। आपत्तिकर्ता द्वारा परिवादी के विरूद्ध अ०सं० 261/24, अं० धारा 452, 323, 504, 506 IPC थाना बेंनीगंज में दर्ज कराया गया, जिसमें घटना दि० 16.06.2024 को, शाम 6:00 बजे की है, जबकि परिवादी द्वारा 16.06.2024 को शाम 5 बजे की घटना बताई गई है। परिवादी ने इसी रंजिश में थाना बेनीगंज में प्रार्थना पत्र दिया, जब सुनवाई नही हुई तब प्रार्थना पत्र अं०धारा 173(4) BNSS निराधार तथ्यों पर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया। परिवादी के धारा 200 के बयान में घटना दिनांक 16.06.2024 को शाम 5 बजे का बताया गया जबकि PW-1 द्वारा 225 BNSS के बयान में घटना 26.06.2024 की बतायी गई। PW-1 व PW-2 के बयानों में काफी विरोधाभास है। परिवादी व आपत्तिकर्ता एक ही मोहल्ले व एक ही गली में रहते है आपत्तिकर्ता सीधा-साधा सज्जन व्यक्ति है जबकि परिवादी झगड़ालू किस्म का व्यक्ति है, आये दिन मुकदमेबाजी करता रहता है। परिवादी ने अपने 200 के बयान में स्वीकार किया है कि मेरे भाई को अनन्तू उर्फ अनन्तराम ने गोली मार दी थी, उसका मुकदमा चला था, जिसमें अनन्तू उर्फ अनन्तराम बरी हो गया। यही रंजिश है। इससे स्पष्ट होता है कि परिवादी ने फर्जी एंव मनगढ़न्त आरोप लगाकर न्यायालय में आपत्तिकर्ता के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। आपत्तिकर्ता द्वारा परिवादी पर थाना बेनीगंज में मुकदमा लिखवाया गया, जिसका मु०अ०सं० 261/24 है, जिसके बचाव मे आपत्तिकर्ता के खिलाफ न्यायालय में झूठा प्रार्थना पत्र दिया। अतः परिवाद निरस्त किये जाने की प्रार्थना की गयी है।

उभयपक्ष को सुना तथा पत्रावली का परिशीलन किया।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में, विपक्षी अनन्तू के विरूद्ध पूर्व में चले मु०अ०सं० 30/9, अं०धारा 307, 504 IPC व 3(2)(V) SC/ST (P.A.) Act को छिपाया गया, यह भी छिपाया गया कि उक्त प्रकरण में विपक्षी अनन्तू दोषमुक्त हो चुका है। इसी प्रकार परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में यह भी छिपाया गया कि उसने पूर्व में विपक्षी अनन्तू, उसकी पत्नी व पुत्री के विरूद्ध अं०सं० 200/26, अं०धारा 115(2), 351(3), 352 BNS & 3(1)(द), 3(2)(Va) SC/ST (P.A.) Act पंजीकृत कराया था।

परिवादी द्वारा अपने परिवाद पत्र में घटना की तिथि दि० 16.06.2024, समय सायं 5 बजे अंकित किया है, जबकि उक्त तिथि पर रात 22:58 की घटना के सम्बन्ध में उसके विरूद्ध उक्त तिथि पर ही विपक्षी अनन्तराम की पत्नी द्वारा अ०सं० 261/24, अं० धारा 452, 323, 504, 506 IPC थाना बेंनीगंज में दर्ज कराया गया। इस तथ्य का परिवादी द्वारा सक्रिय छिपाव किया गया। इससे स्पष्ट है कि परिवादी न्यायालय के समक्ष स्वच्छ हाथों से नही आया है।

परिवादी द्वारा अपने अभिकथन 223 BNSS मे उपरोक्त मु०अ०सं० 30/9, अं०धारा 307, 504 IPC व 3(2)(V) SC/ST (P.A.) Act में विपक्षी के बरी होने को रंजिश का कारण माना है। परिवादी द्वारा परिवाद पत्र में कथन किया गया है कि विपक्षी अनन्तराम ने उसकी पुत्री को खेत में खींचकर, उसके बलात्कार का प्रयास किया, तत्पश्चात वह विपक्षीगण के घर उलाहना देने गया। उक्त तथ्य की विश्वसनीयता सिरे से संदिग्ध है क्योंकि बलात्कार जैसी

जघन्य घटना के उपरान्त थाने जाकर विधिक कार्यवाही का प्रयास करने के बजाय अभियुक्त के घर जाकर उलाहना देना तर्कसंगत नही पाया जाता है।

अतः उपरोक्त विश्लेशण के आलोक में स्पष्ट है कि परिवादी द्वारा, विपक्षीगण के साथ, आपसी वाद-विवाद में, विपक्षीगण पर दबाव बनाने हेतु अपनी अनुसूचित जाति की विशेष प्रास्थिति का दुरूपयोग करते हुए, कपोल-कल्पित कथानक को आपराधिक स्वरूप प्रदान करते हुए यह परिवाद प्रस्तुत किया गया है, जो निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

परिवादी का परिवाद निरस्त किया जाता है। पत्रावली नियमानुसार संग्रहीत अभिलेखागार हो।

दिनांकः 08–09–2026

(ज्ञानेन्द्र त्रिपाठी)
विशेष न्यायाधीश, SC/ST (P.A.) Act,
हरदोई
ID– UP1574